न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

<u>बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.</u>

<u>राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 09 / 2022</u>

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पिण्डवाडा जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री पुनमाराम पुत्र श्री तारा जाति सुआर निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के कायम मुकाम–
   - 1.1 श्री गोविन्द कुमार पुत्र स्व. श्री पुनमाराम जाति सुआर निवासी श्री अंलकार केशकला पंचायत भवन के पास सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   - 1.2 श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री पुनमाराम जाति सुआर निवासी श्री अंलकार केशकला पंचायत भवन के पास सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   - 1.3 श्री भरत कुमार पुत्र स्व. श्री पुनमाराम जाति सुआर निवासी श्री अंलकार केशकला पंचायत भवन के पास सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   - 1.4 श्री भंवरलाल पुत्र स्व. श्री पुनमाराम जाति सुआर निवासी श्री अंलकार केशकला पंचायत भवन के पास सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   - 1.5 श्री चम्पक कुमार पुत्र स्व. श्री पुनमाराम जाति सुआर निवासी श्री अंलकार केशकला पंचायत भवन के पास सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   - 1.6 श्री अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री पुनमाराम जाति सुआर निवासी श्री अंलकार केशकला पंचायत भवन के पास सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   - 1.7 श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री पुनमाराम जाति सुआर निवासी श्री अंलकार केशकला पंचायत भवन के पास सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

<u>राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970</u>

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)
2. श्री उमेश कुमार पटेल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1.1 से 1.7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक **17.01.2023**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा वासा, पटवार हल्का वासा, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 939 नया खसरा संख्या 939 / 5 रकबा 0.03 बीघा किस्म गे.मु.तालाब भूमि तहसीलदार पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक / राजस्व / 87 / 1588 दिनांक 14.10.1987 द्वारा अप्रार्थी श्री पुनमा राम के पिता श्री तारा वल्द सुरा जाति सुआर निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 649 दिनांक 23.12.1987 उपतहसीलदार भावरी द्वारा श्री तारा वल्द श्री सुरा जाति सुआर निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश कुमार पटेल द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 939 नया खसरा संख्या 939/5 रकबा 0.03 बीघा किस्म गे.मु.तालाब भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पिता श्री तारा वल्द श्री सुरा जाति सुआर निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थीगण सद्भावी काश्तकार नहीं थे एवं आवंटित भूमि पर उनका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं किया है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। यह है कि उक्त आवंटन जल ग्रहण क्षेत्र गै.मु.तालाब में किया गया है, जो डी. बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णयानुसार आंवटन हेतु प्रतिबंधित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

अप्रार्थी संख्या 1.1 से 1.7 की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश कुमार पटेल द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम वासा के खसरा संख्या 536 का क्षेत्रफल 485 वर्गगज किस्म बंजर भूमि तहसीलदार पिण्डवाडा की सनद दिनांक 23.06.1973 को जारी होकर बाडा हेतु नियमन हुई है, जिसका तहसीलदार पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक/राजस्व/87/1589 दिनांक 14.10.1987 के द्वारा अप्रार्थी के पिता श्री तारा पुत्र श्री सुरा के नाम कृषि भिन्न प्रयोजन से बाडा हेतु नियमन का नामान्तकरण संख्या 649 दर्ज हुआ, जिसके अनुसार खसरा संख्या 939/1 किस्म गै.मु.बाडा दर्ज हुआ। यह है कि राजस्व विभाग के परिपत्र सं/एफ/16/71/रजस्व सं.7/ दिनांक 03.07. 1971 के तहत बाडे का नियमन कर तहसील पिण्डवाडा द्वारा कृषि भूमि के कृषि भिन्न प्रयोजनार्थ सनद दिनांक 23.06.1973 को जारी होने से तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा आदेश क्रमांक/राजस्व /74/1–2 दिनांक 29.10.1974 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत वासा को मकान बनाने की स्वीकृति जारी करने हेतु आदेशित किया गया, उसके बाद श्री तारा पुत्र श्री सुरा ने पशुओं के बांधने हेतु मकान बनाया था। यह है कि अप्रार्थीगण के पिताजी श्री पुनमाराम ने वर्ष 1998 को उक्त बाडा के लगते रास्ते भूमि पर श्री केसाराम पुत्र श्री मोतीजी सुथार द्वारा अतिक्रमण कर रास्ता बाधित करने पर उक्त रास्ता खुलवाने हेतु कार्यवाही की थी जिस पर पटवारी वासा द्वारा मौका फर्द बनाई गई, जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त बाडा भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। यह है कि उक्त भूमि जल ग्रहण क्षेत्र से बाहर है, जिसमें आज दिनांक तक पानी का भराव नहीं हुआ है और उक्त भूमि डी.बी.सिविल रिट 536/2003 के निर्णय से प्रभावित नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा वासा, पटवार हल्का वासा, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 939 नया खसरा संख्या 939/5 रकबा 0.03 बीघा किस्म गे.मु.तालाब भूमि तहसीलदार पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक/राजस्व/87/1588 दिनांक 14.10.1987 द्वारा अप्रार्थी श्री पुनमा राम के पिता श्री तारा वल्द सुरा जाति सुआर निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 649 दिनांक 23.12.1987 उपतहसीलदार भावरी द्वारा श्री तारा वल्द श्री सुरा जाति सुआर निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया। यह है कि पटवारी हल्का वासा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 23.06.2016 के अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थीगण का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर कब्जा मात्र वाडा है एवं भूमि की किस्म गै.मु.तालाब है। चूंकि उक्त आंवटित भूमि की किस्म गै.मु.तालाब है, जो कि डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा प्रतिबंधित है। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित भूमि ज़ल ग्रहण क्षेत्र से बाहर है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित भूमि जल ग्रहण क्षेत्र से बाहर है एवं उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा अनवरत चला रहा है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने एवं उक्त भूमि डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा प्रतिबंधित होने से अप्रार्थीगण को किसी तरह की कोई राहत दिया जाना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा वासा, पटवार हल्का वासा, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 939 नया खसरा संख्या 939/5 रकबा 0.03 बीघा किस्म गै.मु.तालाब भूमि तहसीलदार पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक/राजस्व/87/1588 दिनांक 14.10.1987 द्वारा अप्रार्थी श्री पुनमा राम के पिता श्री तारा वल्द सुरा जाति सुआर निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner